न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 37 सन 2023
अनवान :–

1. कृष्ण पुत्र मनीराम जाति जाट साकिन चक 11 बारानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

सायल

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र जोतराम जाति स्वामी साकिन रामगढ तहसील नोहर
2. तिलोकचन्द पुत्र जोतराम जाति स्वामी साकिन रामगढ तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

असल
गैरसायल

4. ओमप्रकाश पुत्र आदराम जाति जाट साकिन चक 11 बारानी तसहील नोहर
5. नोरंग पुत्र हरीराम जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
6. मुन्शीराम पुत्र रामदयाल जाति जाट साकिन चक 11 बारानी तहसील नोहर।
7. मेशर पत्नी तोखराम जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
8. मांगेराम पुत्र मनीराम जाति जाट साकिन चक 11 बारानी तहसील नोहर।
9. शिशपाल पुत्र हरीराम जाति जाट साकिन ढीलकी जाटान तहसील नोहर।
10. सुरेन्द पुत्र जयसिह जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।

तरतीबी गैरसायल

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :– श्री हवासिह पुनिया अधिवक्ता प्रार्थी
श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्त अप्रार्थी
निर्णय दिनांक :– 29/07/2024

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि चक 11 बारानी के खाता संख्या 321/314 के प0न0 380/452(138) किला न0 22 ,23/0.5060 प0न0 380/453(155) के किला न0 2 ,3, 8, 9, 12, 13/1.5180हैक प0न0 395/461(305) किला न0 1 ता 25/6.3250हैक कुल 8.3490हैक भूमि में सायल 21089/69575 हिस्सा गैरसायल संख्या 4 का 674/8349हिस्सा , गैरसायल संख्या 5 का 773/13915 हिस्सा गैरसायल संख्या 6 का 1/3 हिस्सा , गैरसायल संख्या 7 का 3514/69575 हिस्सा गैरसायल संख्या 8 का 18976/208725 हिस्सा गैरसायल संख्या 9 का 773/13915 हिस्सा गैरसायल संख्या 10 का 1/33 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 416/391 के प0न0 395/460(276) के किला न0 11/1 की 0.1260हैक , 12/1 की 0.1260हैक 13/1 की 0.1260, 14/1 की 0. 1260, 15/1 की 0.1260, 16 ता 25/2.5300हक कुल 3.160हैक भूमि का गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.31 18:35:32 IST
Reason: SelfAttested

रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता [illegible]9/155 के प0न0 384/455 (199) किला न0 5 ,6/2 ,की 0.3790है[illegible] किला न0 1, 3, 9, 10/1.0120हैक प0न0 394/460(277) किला न0 3/0.1270 ,4 [illegible]7/1.0120हैक , 8/[illegible] , 13/2 की 0.0630 ,14/2 की 0.1260 ,15/2 की 0.1270 , प0न0 395/460(276) किला न0 1 ता 10

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

/2.530 ,11/2 की 0.1270 ,12/2की 0.1270 ,13/2 की 0.1270, 14/2 की 0.1270, 15/2 की 0.1270 कुल 6.1380हैक् भूमि गैरसायल संख्या 2 के नाम दर्ज है।

चकबन्दी के दौरान भाखडा विभाग द्वारा पर्चा खतोनी तैयार की गई थी उसमें चक 11 बारानी के प0न0 395/460(276) के किला न0 5 ,6 ,15 ,16 ,25 में 2–2 बिश्वा रास्ता स्वीकृत किया था तथा भु0प्रबन्ध विभाग द्वारा जो मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2029 से 2038 तैयार की गई उसमें चक 11 बारानी के प0न0 395/460(276) के किला न0 5 ,6 ,15 ,16 ,25 में 2–2 बिश्वा रास्ता निरस्त कर दिया गया वह भूमि खातेदारी दर्ज कर दी गई जबकि भू0प्रबन्ध विभाग को रास्ता भूमि रिकार्ड में मुमकिन दर्ज करने का अधिकार नही था।

चक 11 बारानी के प0न0 395/460(276) के किला न0 5 ,6 ,15 ,16 ,25 में 2–2 बिश्वा रास्ता निरस्त होने से सायल एवं तरतीबी गैरसायल न0 4 ता 10 अपने खेत के प0न0 395/461(305) किला न0 1 ता 25 में आवागमन नही करते है ना ही आवागमन का अन्य कोई स्वीकृत रास्ता है इसलिये सायल पर्चा खतोनी के मुताबिक चक 11 बारानी के प0न0 395/460(276) के किला न0 5 ,6 ,15 ,16 ,25 में 2–2 बिश्वा रास्ता दुरूस्त करवा कर प0न0 395/460(276) के किला न0 5 ,6 ,15 ,16 ,25 में 2–2 बिश्वा पूर्वी साईड में उत्तर से दक्षिण 2–2 बिस्वा रास्ता दुरूस्त करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है उक्त भूमि गेरसायल संख्या 1 ,2 के नाम बतौर खातेदारी दर्ज है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 11 बारानी के प0न0 395/460(276) के किला न0 5 ,6 ,15 ,16 ,25 में 2–2 बिश्वा रास्ता पूर्वी साईड में उत्तर से दक्षिण रास्ता दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गेरसायलान को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया गया तरतीबी प्रतिवादी के विरूद्व कोई अनुतोष नही है गैरसायल संख्या 1 ,2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया।

रोही मौजा चक 11 बारानी प0न0 395/460(276) के किला न0 5 ,6 ,15 ,16 ,25 में 2–2 बिश्वा में कभी भी रास्ता नही था ना ही आज मौके पर है बन्दोवस्त विभाग द्वारा मौका जांच उपरान्त रिकार्ड तैयार किया गया है 60 वर्षो के बाद आवागमन में बाधा बताकर झुठा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है उक्त भूमि उतरदाता की खातेदारी भूमि है जिसमें कभी भी रास्ता नही था हमेशा से काश्त होती आ रही है।

वरवक्त बन्दोबस्त मौक पर जाकर रिपोर्ट तेयार की गयी थी तथा प्रत्येक खाता में प्रत्येक अंकन को मोके पर सभी पक्षकारान को सुनवाई के उपरान्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया था सक्षम अधिकारी द्वारा दर्ज की गयी कार्यवाही जो सभी पक्षकारन को सुनवाई के उपरान्त दर्ज किया गया है को 136 [illegible] दुरूस्त नही किया जा सकता है प्रार्थना पत्र विधि अनुसार पेश नही किया गया [illegible]

सायल जहॉ पर रास्ता दर्ज करवाना चाहता [illegible] उसके आगे पीछे कही पर भी रास्ता नही है तथ गत 60 वर्षो से मौका पर कोई रास्ता नही [illegible] उसमे से रास्त संशोधन करना न्याय के सिद्वान्तों के विपरित होगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.31 18:35:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि सायल का प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट खारीज फरमाया जावे।

जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात पर मनन किया गया विवेचन निम्नप्रकार से है :–

सायल का कथन है कि रोही मौजा चक 11 बारानी के प0न0 395/460(276) के किला न0 5 ,6 ,15 ,16 ,25 में 2–2 बिश्वा रास्ता पर्चा खतोनी में दर्ज है भू0प्रबन्ध विभाग के द्वारा रास्ता निरस्त कर दिया जिसे संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज किया जावे सायल ने रास्ता निरस्त करने का कोई आदेश पेश नही किया गया है मात्र कथन है।

चकबन्दी उपरान्त जमाबन्दीयों को तेयार किया गया था जो मौके सर्वे उपरान्त किया गया था उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया था यदि सायल या उसके पूर्वजों को किसी प्रकार का ऐतराज था तो उसी समय पेश किया जा सकता था।

सायल ने अपने प्रार्थना पत्र मे यह अंकन या कोई नजरीय नक्शा पेश नही किया गया जिससे यह ज्ञात हो सके की वाच्छित रास्ता आगे या पीछे किस रास्ता से जुडता है तर्चा खतौनी में रास्ता किसी दिशा में दर्ज था का भी नजरीय नक्शा पेश नही किया गया है।

सायल का यह भी कथन है कि उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता नही है इसलिये संशोधन किया जावे स्वीकार योग्य नही है भू0प्रबन्ध कार्यवाही 60 वर्ष पहले हुई थी तो सायल इतने वर्षो तक अपने खेत मे आवागमन नही किया गया था किया गया था तो किस रास्ता से किया गया था का विवरण भी अंकित नही किया गया है।

सायल के प्रार्थना पत्र से ऐसा प्रतीत होता है कि सायल अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता चाहता है जो संशोधन के आधार पर पाना चाहता है जो न्यायोचित नही है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार सायल का प्रार्थना पत्र 136 एलआरएक्ट अस्पष्ट है साक्ष्यो के अनुसार सायल का प्रार्थना पत्र 136 एलआरएक्ट में संशोधन का ना होकर रास्ता स्वीकृत करवाने का प्रतीत होता है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र 136 एलआरएक्ट के तहत मेन्टेबल नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29/7/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.31 18:35:32 IST
Reason: SelfAttested